

लोक निर्माण विभाग, अन्वेषणालय में निर्माण सामग्री नमूना परीक्षण (संलग्नक-1)

संदर्भित किए जाने विषयक पत्र का प्रारूप

नमूना प्रेषण प्रपत्र नमू-1

प्रेषक का नाम

प्रेषक का पदनाम

प्रेषक का संगठन

सरकारी/अर्द्धसरकारी(निजी क्षेत्र का नमूना स्वीकार नहीं होगा)

प्रेषक का डाक पता

पत्र संख्या -

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता (क्षेत्र)
कोडिंग प्रभाग, अन्वेषणालय,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

निदेशक / अधिशायी अभियन्ता

महोदय,

कृपा करके निम्न विवरण के अनुसार प्रेषित निर्माण सामग्री नमूनों का परीक्षण उनके सम्मुख अंकित परीक्षण कराकर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

क्रम सं०	सामग्री का नाम	आपेक्षित परीक्षण	संख्या	पहचान चिन्ह / कोड	कुल भार

कार्य का विवरण तथा नाम जिसमें इस सामग्री का प्रयोग किया जाना है अथवा किया गया है।

विशिष्ट का उल्लेख जिसके अनुसार उपरोक्त कार्य किया गया है या किया जाना है।

1 (क) यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नमूनों को भारतीय मानक / MOST विशिष्टियों / आई०आर०सी० कोड / विभागीय विशिष्टियों के अनुरूप लिए गये हैं तथा यह घन मी० अथवा वर्ग मी० सामग्री या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं (जो लागू हो उसे छोड़कर बाकी काट दें) यदि सैन्यलिंग के समय इनसे कोई विचलन किया गया हो तो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख दिया जाये।

1 (ख) प्रमाणित किया जाता है कि सभी नमूने उचित प्रकार की थैलियों / डिब्बों में सील करके प्रदत्त कराये गये हैं, जिनमें निम्न विवरण अंकित हैं।

नमूना संख्या	नमूना सामग्री	कार्य का विवरण / स्थल	नमूना लेने वाले का हस्ताक्षर	नमूना सील

2. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर सदर्भित नमूनों का परीक्षण शुल्क प्रोफार्मा बिल संख्या
दिनांक के विरुद्ध निम्न विवरण के अनुसार संलग्न है :-

ड्राफ्ट की राशि रू0	बैंक ड्राफ्ट सं0
दिनांक	बैंक ड्राफ्ट सं0

3. (क) केवल सीमेन्ट मार्टर/प्लास्टर तथा कंक्रीट के नमूनों का परीक्षण के लिए प्रमाणित किया जाता है, कि इन नमूनों में उपयोग किए गये सीमेन्ट एवं बालू का नमूना भी सुरक्षित कर परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अथवा

3. (ख) प्रमाणित किया जाता है कि सीमेन्ट मार्टर/प्लास्टर तथा कंक्रीट आदि में प्रयुक्त अवयव सीमेन्ट, बालू तथा मिट्टी अब उपलब्ध नहीं है न ही उनके नमूने सुरक्षित रखे गये तथा इनके परीक्षणों की गणना साधारण पोर्टलैण्ड सीमेन्ट/ पोजोलोना सीमेन्ट के मानक मान के आधार पर करके परिणाम उपलब्ध करा दिये जाये। परिणामों के लिए तय की गयी परिशुद्धता संदर्भकर्ता को मान्य होगी। नमूनों के अवयवों के आपूर्ति के समय किये गये परीक्षण को भी यथा संभव संलग्न किया जायेगा।

4. (क) केवल चूना सुर्खी के मसाले के परीक्षण के लिए प्रमाणित किया जाता है कि इन नमूनों में उपयोग किये गये चूना एवं सुर्खी का नमूना भी सुरक्षित कर परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अथवा

4. (ख) प्रमाणित किया जाता है कि चूना सुर्खी के मामले में प्रयुक्त अवयव चूना तथा सुर्खी उपलब्ध नहीं है न ही उनके नमूने सुरक्षित रखे गये हैं तथा इनके परीक्षणों की गणना मानक मान के आधार पर करके परिणाम उपलब्ध करा दिये जाये। परिणामों के लिए तय की गयी परिशुद्धता संदर्भकर्ता को मान्य होगी। (नमूनों के अवयवों के आपूर्ति के समय किये गये परीक्षणों को भी यथा संभव संलग्न किया जायेगा।)

पृष्ठ संख्या 1 पर दिये गये विवरण तथा पृष्ठ संख्या 1 अथवा 2 पर दिये गये प्रमाणपत्र 1(क)/ (ख)2, 3(क)/ (ख), 4(क)/ (ख) की सभी सूचनायें मेरे द्वारा भरी गई हैं तथा प्रमाणित हैं।

(प्रमाण पत्र में (क) तथा (ख) अंश में से जिसके अन्तर्गत आच्छादित न हो उसे काट दिया जाये।

संलग्नक नमूना - 1 अ में दी गई शर्तें मैंने पढ़ ली हैं जो मुझे स्वीकार हैं।

संदर्भकर्ता के हस्ताक्षर

संदर्भकर्ता का नाम

संगठन नाम तथा पदनाम

नोट :- संदर्भ पत्र को भरे जाने तथा अन्वेषणालय को कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किए जाने के लिए केवल राजपत्रित श्रेणी के कार्यालयाध्यक्ष स्तर के अधिकारी ही अधिकृत हैं।)

नमूना प्रेषण प्रपत्र नमू-1 का संलग्नक नमू-1 अ

सन्दर्भित नमूने निम्न शर्तों के अधीन ग्राह्य अथवा अग्राह्य (स्वीकार अथवा अस्वीकार) होंगे।

1. अग्रिम परीक्षण शुल्क केवल बैंक ड्राफ्ट जो अन्वेषणालय के लिए अधिशासी अभियन्ता (क्षेत्र), अन्वेषणालय, लोक निर्माण विभाग के नाम अपूर्ण या आंशिक त्रुटि वाले बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. उच्च आदेशों पर यदि विशेष परिस्थितियों में कोई नमूना बिना परीक्षण शुल्क अग्रिम लिए स्वीकार किया जाना हो तो परीक्षण परिणाम प्रत्येक दशा में परीक्षण शुल्क के भुगतान प्राप्त होने के बाद ही निर्गत किये जायेंगे।
3. नमूने यदि परीक्षण के लिए निर्धारित/आवश्यक मात्रा से कम हैं तो स्वीकार नहीं किए जायेंगे। उच्च स्तरीय आदेशों के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में यह प्रमाणपत्र देने पर कि वर्तमान स्थिति में इससे अधिक नमूना भेजा जाना सम्भव नहीं है यह नमूने परीक्षण के लिए जायेंगे परन्तु उनकी मानको के अनुसार प्रतिनिधित्व न होने के बिन्दु पर दायित्व सन्दर्भकर्ता का होगा और यह तथ्य कि नमूने मानक के अनुसार नहीं थे एवं पूर्ण मात्रा में नहीं थे स्पष्ट रूप से परीक्षण आख्या पर अंकित किया जायेगा और परीक्षणों की संदिग्धता को भी इंगित किया जायेगा।
4. नमूने विधिवत् मजबूत थैली में सील्ड होने चाहिए तथा थैली कटी, फटी आदि नहीं होना चाहिए।
5. नमूने पर लगी पहचान पर्ची पर नमूना का नाम/प्रेषक का पहचान चिन्ह तथा सन्दर्भकर्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए।
6. संदर्भ पत्र के साथ या उसी पर सत्यापित नमूना सील, सन्दर्भकर्ता द्वारा सत्यापित कर लगी होनी चाहिए। इसी से मिलान करके कोडिंग के समय नमूना खोला जायेगा।
7. पार्सल अथवा डाक से भेजे गये नमूने बिना पूर्ण प्रविष्टि भरे हुए पृथक सन्दर्भपत्र के नहीं स्वीकार्य किये जायेंगे। स्पष्ट है कि यदि सन्दर्भपत्र नमूने की थैली में होगा तो उसकी प्रविष्टियों की जांच नमूना लेने से पूर्व सम्भव नहीं हो पायेगी। इसलिए सन्दर्भपत्र पृथक से आना चाहिए। लेकिन इस दशा में भी सन्दर्भपत्र में गलत प्रविष्टि होने अथवा अपूर्ण सूचना होने अथवा परीक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट न होने की स्थिति बाद में प्रकाश में आयेगी तो नमूना वापस करने में अनावश्यक शासकीय धन की क्षति होगी, इसलिए नमूना डाक अथवा पार्सल से स्वीकार करना वरीयता में नहीं है।

Kunkun Gupta
In-charge

अधिशासी अभियन्ता (क्षेत्र)
कोडिंग प्रभाग, अन्वेषणालय
लोक निर्माण विभाग
लखनऊ